



परिपत्र

नियम 149 जीएफआर 2017 के अधिदेश के अनुसार, भारत सरकार GeM के माध्यम से अथवा ई-टेंडर को आमंत्रित करके सभी खरीद करने के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में ई-प्रापण को कार्यान्वित करने का निदेश दिया है। इस प्रकार बोर्ड के सभी संस्थापनों के लिए जिनके अपने डीडीओ है GeM पर पंजीकरण करना अनिवार्य है और सुनिश्चित करें कि खरीद GeM के माध्यम से अथवा केवल सीपीपी पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडरिंग करके की जाती है।

अध्यक्ष, सीबीएसई ने निदेश दिया है, कि बोर्ड के एककों/क्षेत्रीय कार्यालयों/उत्कृष्टता केन्द्रों के सभी प्रमुखों को GeM पोर्टल पर पंजीकरण करें तथा केवल GeM के माध्यम से खरीद करें। इस परिपत्र के जारी होने से एक सप्ताह के भीतर GeM पर पंजीकरण के विवरणों सहित अनुपालन अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।

हस्ता/-

(जयप्रकाश चतुर्वेदी)

उप सचिव(प्रशा. एवं विधि)

प्रतिलिपि:-

1. सीबीएसई अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सीबीएसई सचिव/परीक्षा नियंत्रक/ निदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव
3. संयुक्त सचिव(आईटी), वरिष्ठ जन संपर्क अधिकारी/आईएएफए के निजी सचिव
4. बोर्ड के सभी एककों/क्षेत्रीय कार्यालयों/उत्कृष्टता केन्द्रों के प्रमुख
5. संबंधित एककों के डीडीओ